UPBS120006042022

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 474/2022

कृष्ण गोपाल बनाम चन्द्रमणि पाण्डेय आदि

29.09.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र कागज सं० 6ग२ पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा विवादित मकान स्थित आराजी सं० 174क रकबा 0.0210 हे० अक्षरान अ,ब,स,द,य,र,ल,व तथा निर्माणाधीन मकान स्थित गाटा सं० 175 रकबा 0.0330 हे० के आधे भाग अक्षर क,ख,ग,घ प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादीगण द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में सबूत सूची 9ग1 द्वारा नकल खतौनी कागज सं० 10ग1, नोटरी प्रमाणित छायाप्रति सुलहनामा कागज सं० 11ग1, छायाप्रति आख्या राजस्व निरीक्षक कागज सं० 12ग1/1 व छायाप्रति रिपोर्ट थाना कलवारी कागज सं० 12ग1/2 दाखिल किया गया है। खतौनी के अवलोकन से विदित होता है कि पक्षकार विवादित आराजी के सहखातेदार हैं। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक–13.10.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।